

प्रार्थना पत्र संख्या:-38/19
तारीख रजू:-01.05.2019
निर्णय दिनांक:-27.06.2025

नवान
महाबीर पुत्र सूरजभान जाति अहीर निवासी ग्राम हुडियाखुर्द तहसील नीमराना जिला
कोटपूतली-बहरोड
संजय कुमार पुत्र शेरसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम हुडियाखुर्द तहसील नीमराना जिला
कोटपूतली-बहरोड राज।
.....प्रार्थीगण

बनाम

बिल्तू
धर्मपाल
राकेश
अशोक पुत्रान रामनिवास जातियान अहीर निवासीयान हुडियाखुर्द तह0 नीमराना जिला
कोटपूतली-बहरोड राज0।
श्रीमान तहसीलदार साहब नीमराना तह0 नीमराना जिला कोटपूतली-बहरोड
.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र- अंतर्गत धारा 111.128 एल0आर0एक्ट0

उपस्थिति:

श्री सुनिल कुमार यादव एडवोकेट-प्रार्थी
पैरोकार सरकार-अप्रार्थी

-:निर्णय:-

दिनांक:-27.06.2025

आज यह पत्रावली "पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्तयोदय सम्बल पखवाडा" के अन्तर्गत कैम्प अटल सेवा केन्द्र काठुवास पर पेश हुई। प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर हाल 149 रकबा 0.26 है0 वाके ग्राम हुडियाखुर्द तह0 नीमराना जिला कोटपूतली-बहरोड में स्थित है। जो हम प्रार्थीगण की खातेदारी काशत की आराजी दर्ज रिकॉर्ड है जिसकी सीमाज्ञान पैमाईश दिनांक 07.04.2019 को श्रीमान तहसीलदार साहब के आदेशानुसार पटवारी हल्का द्वारा की गई तथा पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 07.04.2019 के मुताबिक आराजी मुतनाजा की पुख्ता पत्थरगढी नहीं की गई है तथा तहसीलदार साहब द्वारा राजस्व न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर आदेश लेकर आने पर पत्थरगढी की जा सकेगी। इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार बाद तामिल न्यायालय में उपस्थित हुआ तथा पत्रावली जवाब सरकार पेश हुआ। पत्रावली शामिल मिसल हो। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

पत्रावली में वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को रिपीट करते हुए आराजी मुतनाजा की पुख्ता पत्थरगढी सीमाज्ञान पैमाईश के आधार पर किया जाने का निवेदन किया गया।


हमने पत्रावली का का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध सीमाज्ञान पैमाईश दिनांक 07.04.2019 का अवलोकन किया गया। सीमाज्ञान पैमाईश

तहसीलदार नीमराना के आदेश से पटवारी हल्का द्वारा हाल रिकॉर्ड एवं राजस्व नक्शा के मुताबिक किया गया है तथा पटवारी हल्का द्वारा की गई सीमाज्ञान पैमाईश के विरुद्ध किसी प्रकार की आपत्ति न्यायालय में पेश नहीं की गई है। इसलिए न्याय हित में सीमाज्ञान पैमाईश दिनांक 07.04.2019 के मुताबिक प्रार्थीगण के खरारा नम्बर हाल 149 रकबा 0.26 है0 वाके ग्राम हुडियाखुर्द तह0 नीमराना जिला कोटपूतली-बहरोड पर पुख्ता पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतित होता है। इसलिए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान पैमाईश के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 128,111 आर0टी0एचट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमराना को आदेश दिया जाता है। कि प्रार्थीगण की खातेदारी के खरारा नम्बर हाल 149 रकबा 0.26 है0 वाके ग्राम हुडियाखुर्द तह0 नीमराना जिला कोटपूतली-बहरोड की सीमाज्ञान पैमाईश दिनांक 07.04.2019 के आधार पर चारों तरफ के खातेदारों की उपस्थिति में पुख्ता पत्थरगढी करे। पैमाईश के मुताबिक पत्थरगढी की एवज में किसी को कब्जा नहीं दिलवाये। तहसीलदार नीमराना को आदेश की पालनार्थ अलग से लिखा जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 27.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हरताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।


(महेन्द्रसिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, नीमराना
निमित्त (कोटपूतली-बहरोड)
जिला कोटपूतली-बहरोड(राज0